रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1269] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2005/अग्रहायण 15, 1927

No. 1269] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2005/AGRAHAYANA 15, 1927

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1722(अ).—चूंकि संयुक्त सचिव, भारत सरकार जिन्हें स्वापक औषधों तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 के अवैध व्यापार को रोकथाम के लिए खण्ड 3, के उप-खण्ड (1) के अधीन विशेष रूप से शक्ति प्राप्त है, ने उक्त उप-खण्ड के अन्तर्गत दिनांक 14-3-2005 की फा. सं. 801/19/2004 पिट.एन.डी.पी.एस. के अधीन आदेश जारी करके निदेश दिया था कि श्री मोहम्मद अयूब पुत्र श्री अब्दुल रहीम छिप्पा निवासी गांव खानपुरा, तहसील एवं जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) औषधों की पूर्ति एवं लाने ले जाने में शामिल होने के कारण केन्द्रीय कारागार उदयपुर (राजस्थान) में हिरासत में रखा जाए।

2. चूंकि केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि उपर्युक्त व्यक्ति फरार है या स्वयं को छिपा रहा है जिसके कारण आदेश का पालन नहीं हो सका है।

3. अब, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा 1 के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर उपर्युक्त व्यक्ति को श्री कमल कुमार कोठारी, निरीक्षक/जांच अधिकारी, अधीक्षक का कार्यालय, पी एण्ड आई कक्ष, प्रतापगढ़ (राजस्थान) के समक्ष प्रस्तुत होने का निदेश देती है।

[फा. सं. 801/19/2004-पिट.एन.डी.पी.एस.]

के. एस. शर्मा, उप सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### ORDER

New Delhi, the 6th December, 2005

**S.O. 1722(E).**— Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under Sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 801/19/2004-PITNDPS dated 14-3-2005 under the said Sub-section directing that Shri Mohammed Ayub S/o Shri Abdul Rahim Chippa R/o Village Khanpura, Tehsil and Distt. Mandsaur (M.P.) be detained and kept in custody in the Central Jail Udaipur (Rajasthan) with a view to preventing him from arranging the supply and transportation of Narcotic Drugs.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before Shri Kamal Kumar Kothari, Inspector/I.O. Office of the Superintendent, P&I Cell, Pratapgarh (Rajasthan) within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 801/19/2004-PITNDPS]

K. S. SHARMA, Dy. Secy.

3506 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.